

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15(10)/एल-11/गोप्र/प्रमुवसं-06263-पार्ट-आ/

दिनांक :

निमित्त,

डॉ. टी. मोहन राज,
मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर।

विषय :- वनरक्षक/सहायक वनपाल से संबंधित डाटाबेस के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पत्रांक एफ 15(10)/एल-11/गोप्र/प्रमुवसं-06263-पार्ट-आ/ 8899-8925/सी दिनांक 22.12.2023 के द्वारा वनरक्षक/सहायक वनपाल से संबंधित डाटाबेस के संबंध में सूचनाएं आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कार्मिक शाखा प्रभारी के साथ दिनांक 09.01.2024 को आयोजित बैठक में लेकर प्रेषित करने एवं मुख्य वन संरक्षक अपने स्तर से प्रेषण से पूर्व सूचनाओं का परीक्षण करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये थे।

दिनांक 09.01.2024 को आयोजित बैठक में आपके कार्यालय से संबंधित सूचनाओं के अवलोकन करने पर पाया गया है कि आपके द्वारा प्रेषित सूचना त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/विरोधाभासी है। उदाहरणार्थ बिन्दु संख्या 1 की सूचना के कॉलम संख्या 14 में सेवा-पुस्तिका में तत्संबंधी प्रविष्टि किए जाने की दिनांक 09 जून 2003, 29 अप्रैल 2013 आदि का उल्लेख किया गया है जबकि कॉलम संख्या 13A और 13B में कोई भी प्रविष्टि नहीं है जो कि संभव नहीं है। बिन्दु संख्या 2 की सूचना में भी इसी प्रकार उल्लेख किया गया है। बिन्दु संख्या 3 की सूचना में कार्यालय उप वन संरक्षक, धौलपुर में विज्ञप्ति पद 15 के विरुद्ध 7 अभ्यर्थियों का चयन कर कमी बेशी में NIL दर्शाया गया है। इसी प्रकार आप द्वारा प्रेषित सूचनाओं में अनेक अन्य त्रुटियाँ भी उजागर हुई हैं जिसके बारे में उपस्थित कर्मचारी को अवगत करवा दिया गया है। उक्त बैठक में आपके कार्यालय में पदस्थापित कार्मिक प्रभारी उपस्थित ना होकर अन्य शाखा प्रभारी उपस्थित हुआ है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपको स्पष्ट निर्देश देने के उपरांत भी आपके द्वारा सूचना प्रेषित करने से पूर्व सूचनाओं का अवलोकन/परीक्षण नहीं कर केवल औपचारिकता पूरी करते हुए सूचना इस कार्यालय को प्रेषित कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली गयी है। फलस्वरूप उक्त आयोजित बैठक में वांछित सूचना सही एवं पूर्णरूप में नहीं प्राप्त होने से राजकीय कार्य निष्पादन भी बाधित हुआ। जो कि आपकी राजकीय कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता का घोटक है। उक्त सूचनाओं की त्रुटियों को तत्काल सही करने की अत्यन्त आवश्यकता है। यदि आपके अधीनस्थ उप वन संरक्षकों द्वारा आपके निर्देशों की अवहेलना की जा रही है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव प्रेषित करना/वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रविष्टि अंकित करना सुनिश्चित करें।

अतः आप समस्त सूचनाओं का व्यक्तिशः परीक्षण करने के उपरांत आपके कार्यालय में पदस्थापित उप वन संरक्षक (प्रशासन) एवं समस्त उप वन संरक्षक को कार्मिक प्रभारियों के साथ दिनांक 23.01.2024 को दोपहर 11.00 बजे मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन) के कक्ष में उपस्थित होना सुनिश्चित करावे।

भवदीय,

(अरिजीत बनर्जी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15(10)/एल-11/गोप्र/प्रमुवसं-06263-पार्ट-आ/157-158/c

दिनांक : 11.01.2024

प्रतिलिपि:

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर को संबंधित अधिकारी द्वारा उच्च कार्यालय के निर्देशों की उपरोक्तानुसार अवहेलना के संबंध में इनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में तदनुसार टिप्पणी अंकित करने का कष्ट करावे।
2. उप वन संरक्षक सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर